(b) whether it is a fact that the Corporation has chalked out a detailed programme in collaboration with the World Bank, *to attain* self sufficiency in the production of high yielding varieties of seeds; and

(c) if so, what are the details thereof ?]

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री प्रकाश सिंह बादल) : (क) राष्ट्रीय बीज निगम मुख्यत: मूल और प्रमाणिक बीजों के संबंध में कार्य करता है जिनकी देश में सीमित, परन्तु बढ़ती हुई मांग है । बीजों की मांग की बड़ी मात्रा किसानों द्वारा स्वयं ही पूरी कर ली जाती है जो ऐसी उपज और विशेषकर स्वयं अंकुरित होने वाली गेहूं और धान आदि की पर्याप्त मात्रा अपने पास रख लेने में पूरी सावधानी बरतते हैं, जिनको विश्वस्त बीज के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है । वर्ष 1974-75 के दौरान राष्ट्रीय बीज निगम ने पांच मुख्य धान्य फसलों अर्थात गेहूं, धान, मक्का, ज्वार एवं बाजरे के लगभग 69,500 मीटरी टन प्रमाणित बीज उपलब्ध करायें ।

(ख) केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों की सलाह से देश भर में ऊंचे दर्जे के प्रमाणित बीजों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है । विश्व बैंक ने इस कार्यक्रम के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी लगाने के लिए सहमति प्रकट की है ।

(ग) इस कार्यक्रम में प्रजनक बीजों, मूल बीजों तथा प्रमाणिक बीजों का प्रर्याप्त उत्पादन करने और उनके लिये आवश्यक आधार तैयार करने, राज्यों में स्वतंत्र गुण नियंत्रण एजेंसियों तथा राज्य बीज निगमों की स्थापना करने, राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा समन्वित अंतर्राज्यीय विपणन करने, अपर्याप्त पूर्ति के वर्षों में कमी को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बीजों का एक सुरक्षित भण्डार लगाने तथा वनस्पतियों के प्रजनक व मूल बीजों के अनुसन्धान व परीक्षण करने की व्यवस्था है ।

t[THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI PARKASH SINGH BADAL) : (a) The National Seeds Corporation deals primarily with foundation and certified seeds, for which there is a limited but growing demand in the country. The bulk of the demand for seed is met by farmers themselves who take good care to retain sufficient quantities of their produce which could be used by them as reliable seed, particularly in the case of self-pollinated crops such as wheat and paddy. During the year 1974-75 the National Seeds Corporation made available almost 69,500 tonnes of certified seeds of the five major cereal crops *viz.*, wheat, paddy, maize, jowar and bajra.

(b) The Government of India in consul tation with the States have evolved a pro gramme to meet the countrywide require ments of high quality certified seeds. The World Bank have agreed to fund this pro gramme, in large measure.

(c) The programme envisages adequate production of breeder seeds, foundation seeds and certified seeds: and creation of necessary infrastructure therefor, indepen dent quality control agencies in the States and setting up of State Seed Corporations, coordinated inter-State marketing by the National Seeds Corporation, the establish ment of a reserve stock of seeds at" the national level to meet shortfall in years of inadequate supplies and the sponsoring of research and trials in the production of breeder and foundation seed of vegetables.]

दुकानों और कारखानों में बच्चों की काम करने की दशा के सम्बन्ध में अध्ययन प्रतिवेदन

120. **श्री गणेश लाल माली** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय बाल कल्याण परिषद् ने सरकार को हाल में एक अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें दिल्ली के कारखानों, दुकानों और अन्य

t[ ] English translation.

प्रतिष्ठानों में काम करने वाले 7 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की दुखद परिस्थितियों पर प्रकाश डाला गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उक्त प्रतिवेदन के प्रकाश में सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

STUDY REPORT ON THE WORKING CONDITIONS OF CHILDREN IN SHOPS AND FACTORIES

120. SHRI GANESH LAL MALI : Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Indian Council of Child Welfare has recently submitted a study report to Government highlighting the sad plight of children in the age group of 7 to 14 years who are working in factories, shops and other Establishments in Delhi;

(b) if so, what are the main features of the report; and

(c) what steps Government propose to take in the light of the said report ?]

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र): (क) समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसंधान अध्ययन प्रवर्तित करने की योजना के अन्तर्गत भारतीय बाल कल्याण परिषद् ने दिल्ली के शहरी क्षेत्र में काम करने वाले बच्चों का अध्ययन किया था।

(ख) रिपोर्ट की मुख्य बातें विवरण में दी गई हैं। (नीचे देखिए)।

(ग) विधान को लागू करना एक क्रमिक प्रक्रिया है। फैक्टरी निरीक्षणालय के क्षेत्र कर्मचारियों तथा दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान अनुभाग को बच्चों के रोजगार और उनके कार्य-समय के बारे में फैक्ट्री अधिनियम, 1948 और दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954 के उपबंधों का सख्ती से पालन करने के निदेश दिए गए हैं।

t[ ] English translation.

विवरण

दिल्ली के शहरी क्षेत्र में काम करने वाले बच्चों से संबद्ध रिपोर्ट की मुख्य बातें

मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(1) अध्ययन में 5 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शामिल किया गया। यह पूछताछ, सात व्यावसायिक सर्वेक्षणों और दस काम करने वाले बच्चों के अध्ययन पर आधारित है।

(2) यद्यपि निरपेक्ष रूप से 1971 में काम करने वाले बच्चों का प्रतिशत 1961 की अपेक्षा 40.5 प्रतिशत बढ़ा परन्तु 14 वर्ष तक के कुल बच्चों में काम करने वाले बच्चों का प्रतिशत लगभग वही अर्थात 1.1 प्रतिशत रहा; लड़कियों के मामले में कुछ कमी हुई। काम करने वाले कुल व्यक्तियों में काम करने वाले बच्चों का प्रतिशत 1961 में 1.4 से घटकर 1971 में 1.3 रह गया।

(3) काम करने वाले बच्चे अनेक प्रकार के व्यवसायों में लगे हैं। घरेलू कामों से लेकर बिक्री सहायक, फेरी वाले या छपाई कम्पोजिंग जिल्दसाजी, गाड़ियों की मरम्मत, इंजीनियरी के व्यवसाय आदि तक में काम करते हैं।

(4) 60 प्रतिशत काम करने वाले बच्चों की आयु 13-14 वर्ष की थी। अन्य कम आयु के थे।

(5) 57.4 प्रतिशत काम करने वाले बच्चे प्रतिष्ठानों में काम करते थे 25 प्रतिशत बिना वेतन के पारिवारिक कर्मचारी की तरह घरों में काम करते थे तथा 17.6 प्रतिशत स्वयं अपना रोजगार करते थे या घरेलू नौकर के रूप में काम करते थे।

(6) प्रतिष्ठानों में विशेष रूप से पुरानी दिल्ली में कार्यस्थल का वातावरण बहुत घना और असंतोषजनक था। प्रतिष्ठानों में या स्वयं अपना रोजगार करने वाले बच्चों

का कार्य समय भिन्न-भिन्न था 16.3 प्रतिशत छः घंटे से कम 67.3 प्रतिशत 6 से 10 घंटे तथा शेष अधिक समय तक प्रतिदिन काम करते थे। दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम 1954 के अन्तर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों में विधान से संबंधित उपबंधों का उल्लंघन ध्यान में लाया गया है।

(7) काम करने वाले बच्चों की आय बहुत कम है। लगभग एक चौथाई बच्चों की आय 60 रुपए प्रति माह से कम है। अधिकतर बच्चों को निर्धारित दर से कम मजदूरी दी जाती है।

(8) सात व्यावसायिक सर्वेक्षणों से पता चला कि चाय की दुकानों और ढाबों आटो और साईकल मरम्मत की दुकानों घरेलू कार्यों फटे-पुराने कपड़े और अन्य बेकार वस्तुएँ एकत्र करने तथा जूते पालिश करने के कामों में लगे बच्चों का कार्य-समय अधिक घन्टों का होता है; उनकी आय कम होती है; दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के अधीन रजिस्टर्ड दुकानों आदि को छोड़कर अन्य जगह उनको कानूनी संरक्षण नहीं मिलता; अधिकतर मामलों में कार्य स्थान पर असंतोषजनक वातावरण होता है; आदि। कुछ बच्चे अंशकालिक काम करते हैं जैसे शाम को अखबार बेचना या घरों में दूध का वितरण करना। कुछ मामलों में इस आय से बच्चे को अपने शिक्षा के व्यय में मदद मिलती है।

(9) 39.7 प्रतिशत काम करने वाले बच्चे अशिक्षित हैं, 7.3 प्रतिशत शिक्षित हैं, परन्तु उनको औपचारिक शिक्षा नहीं मिली, और 53 प्रतिशत ने प्राइमरी स्तर तक या अधिक शिक्षा पाई है। व्यावसायिक अध्ययन से पता चला है कि फटे-पुराने कपड़े एकत्र करने वाले और चाय की दुकानों और ढाबों में काम करने वाले बच्चों की अपेक्षा आटो और साइकिल मरम्मत करने वाली वर्कशापों में और घरेलू काम करने वाले बच्चे अधिक शिक्षा प्राप्त हैं।

(10) काम करने वाले बच्चों की काफी संख्या ऐसी है जो व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहती है। बच्चों को प्रशिक्षण के लिए अवसर प्रदान करने; 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शामिल करने के लिए एप्रेंटिस एक्ट में संशोधन करने और श्रम कानून को लागू करने के बारे में सुझाव दिये गए हैं।

t[THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER) : (a) Under the scheme of the Department of Social Welfare to sponsor research studies, the Indian Council of Child Welfare undertook a study on Working Children in Urban Delhi.

(b) The main features of the Report are given in the attached statement *(See* below)

(c) Enforcement of legislation is a continuous process. The field staff of the Factories Inspectorate and the Delhi Shops and Establishments Section have been directed to enforce vigorously the provisions of the Factories Act, 1948, the Delhi Shops and Establishments Act 1954, and the Employment of Children Act, relating to the employment of children and their working hours.

STATEMENT

Main *features of the Report on Working Children in Urban Delhi*

The Main features are :—

(i) The study covered working children 5 to 14 years of age. It is based on house-hold enquiries, 7 occupation surveys and 10 case studies of child workers.

(ii) Although in absolute terms the percentage of child workers increased by 40.5 per cent in 1971 over 1961, the percentage of child

t[ ] English translation.

workers to total children in the age group 0-14 years remained almost the same, *i.e.,* about 1.1 per cent, in the case of girls there was a slight decrease. The percentage of child workers to total workers decreased from 1.4 in 1961 to 1.3 in 1971.

(iii) Child workers are engaged in a variety of occupations ranging from domestic service to working as sales assistant, hawkers or as workers in printing, composing, book binding, vehicle repairs, engineering trades, etc.

(iv) 60 per cent of the child workers were in the age-group 13-14 years. The rest were younger.

(v) 57.4 per cent of the child workers were working in establishments, 25.0 per cent as unpaid family workers in house-hold enterprises and 17.6 per cent were in self-employment and domestic workers.

(vi) The environment of the workplace in establishments, particularly in old Delhi was mostly congested and unsatisfactory. The hours of work of children working in establishments and self-emoloyment vary—16.3 per cent work for less than six hours a day, 67.3 per cent between 6 to 10 hours and the rest for longer period. In the case of estab'ish-ments covered by Delhi Shops and Establishments Act, 1954, vioaltions of the relevant provision of the legislation have been noticed.

(vii) The earnings of child workers are low, about four-fifths earning less than Rs. 60 per month. The prevailing wages for most children were less than the prescribed rate.

(viii) The seven occupational surveys showed that child workers engaged in tea shops and dhabas, auto and cycle repair shops, domestic service, picking of rags and other waste, and shoe shining, have hours of work spread over a long period, low earnings, lack of legal protection except in the case of shops, etc. registered under the Delhi Shops and Establishments Act, unsatisfactory environment of the work place in most cases, etc. Some children do part time work such as hawking evening newspapers or home delivery of milk. In some cases, such earnings helped to support the child's education.

(ix) 39.7 per cent of the working children are illiterate, 7.3 per cent are literate without formal education and 53.0 per cent studied upto primary standard or above. Occupational studies showed that among child work-era in auto and cycle repair workshops and in domestic service, there is comparatively better incidence of education than those working as rag pickers or in tea shops and in dhabas.

(x) A large number of working children are keen to have vocational training. Suggestions have been made for providing opportunities for training of children, amendment of Apprentices Act to cover children less than 14 years and enforcement of labour legislation.]

LOSS DUE TO FLOODS AND CYCLONES IN THE COUNTRY

121. SHRI JANARDHANA REDDY: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) the extent of loss due to floods and cyclones in the country during 1976-77 and the names of the States affected; and

(b) the quantum of Central assistance given to each State to meet the situation ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI PARKASH SINGH BADAL) : (a) The States of Assam, Bihar, Haryana, Jammu & Kashmir, Manipur, Punjab, Rajasthan, Tripura and Uttar Pradesh were affected by floods and Andhra Pradesh, Gujarat and Tamil Nadu were affected by cyclones during